

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक/6239/एफ-20/15/2014/पार्ट-2/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रदेश की मंडियों के मंडी क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम तथा राज्य भण्डार गृह निगम के स्वामित्व तथा किराया या पट्टे (लीज) पर लिये गये भण्डारण केन्द्रों की ऐसे समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र जहां अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय, प्रसंस्करण, या भण्डारण होता है, को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है, जो भूतलक्षी प्रभाव से 5 जून, 2020 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक/एफ-20/15/2014/पार्ट-2/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/6239/ रायपुर दिनांक 12-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 12th November 2020

No./6239/F-20/15/2014/Part-2/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares a sub-market yard to all such structures, enclosure, open place or locality of the storage centers owned or leased by the Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporation under the market area of the markets of the state where sale-purchase, processing or storage of notified agricultural produce has done, which shall come in to force with retrospective effect from 5th June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक/6241/एफ-20/15/2014/पार्ट-2/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रदेश अंतर्गत समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन हेतु प्राथमिक कृषि साख समितियां एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (लैम्प्स) तथा उनके उप-केन्द्रों की समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप-मंडी प्रांगण घोषित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक/एफ-20/15/2014/पार्ट-2/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/6241/रायपुर दिनांक 12-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 12th November 2020

No./6241/F-20/15/2014/Part-2/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares sub-market yard, for the purpose of procurement of notified agricultural produce under the support price under the State, to all such structures, enclosure, open place or locality of the Primary Agricultural Credit Societies and Primitive Caste Service Cooperative Societies (Lamps) and their sub-centers.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक/6243/एफ-20/15/2014/पार्ट-2/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रदेश के समस्त ग्रामीण हाट-बाजारों की ऐसे समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र, जहां अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय, प्रसंस्करण या भण्डारण होता है, को उप-मंडी प्रांगण घोषित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक/एफ-20/15/2014/पार्ट-2/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/6243/रायपुर दिनांक 12-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 12th November 2020

No./6243/F-20/15/2014/Part-2/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares sub-market yard to all such structures, enclosure, open place or locality of the all rural hat-markets in the State, where the sale-purchase, processing or storage of notified agricultural produce has done.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	मतरिंगा	1.221	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	मतरिंगा व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	करौंदी	1.199	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	रिखी जलाशय योजना के नहर क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	गुमगा	3.581	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	गुमगा व्यपवर्तन योजना का वीयर एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नमना	0.880	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	रिखी जलाशय योजना के नहर क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	पण्डरीडांड	0.610	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	नकटीनाला व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नारायणपुर	0.331	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	नारायणपुर व्यपवर्तन योजना का वीयर और मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2020

क्रमांक 8990/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भैंसो प.ह.नं.-05	0.178	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. चांपा संभाग, चांपा.	बिलासपुर पामगढ़ मार्ग में पूल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020	600	0.287
	651	0.053
	601	0.146
	737	0.073
	586	0.056
	587	0.097
	333	0.114
	648	0.081
	597	0.085
	410	0.101
	626	0.061
	596	0.101
	599	0.032
(1) भूमि का वर्णन—	656	0.036
(क) जिला-सरगुजा	605/2	0.040
(ख) तहसील-उदयपुर	605/1	0.045
(ग) नगर/ग्राम-भकुरमा	606/1	0.121
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.584 हेक्टेयर	450	0.028

क्रमांक/01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	(1)	(2)
619	0.097	पी-2073	1.043
472	0.109	पी-2073	0.376
273	0.129	पी-2063	0.200
409	0.097	पी-2063	0.506
402	0.089	पी-2073	0.769
616	0.040	पी-2063	0.040
310/1	0.049	पी-2073	0.202
643	0.053	पी-2073	0.040
427	0.113	पी-2073	0.769
311	0.170	पी-2063	0.080
607	0.081	पी-2063	0.100
		पी-2073	0.971
योग	29	पी-2073	0.202
	2.584	पी-2063	0.070
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुदर बसवार		पी-2063	0.100
व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.		411	0.008
		342/7	0.016
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		342/6	0.016
(रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		342/5	0.016
		342/1	0.081
		342/4	0.020
सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020		342/3	0.024
		342/2	0.020
क्रमांक/02/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस		341	0.044
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		340	0.052
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		359	0.024
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और		184/2	0.101
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार		339/2	0.101
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा		344/1	0.028
जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता		345	0.024
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		346	0.008
		339/1	0.040
अनुसूची		350	0.012
		395	0.081
(1) भूमि का वर्णन—		355	0.044
(क) जिला-सरगुजा		357	0.016
(ख) तहसील-उदयपुर		358	0.044
(ग) नगर/ग्राम-सानीबर्वा		360	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.594 हेक्टेयर		168	0.041
		178/1	0.056
खसरा नम्बर	रकबा	187/1	0.016
	(हेक्टेयर में)	177	0.125
(1)	(2)	133	0.146
		185	0.028
पी-2073	0.873	186	0.081
पी-2060	0.836	187/4	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
187/3	0.060	673/1	0.061
योग	49	673/4	0.085
		673/2	0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अटेम व्यपवर्तन के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.		690/3	0.012
		672	0.109
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		775	0.113
		774	0.061
		771	0.081
		762	0.032
		768	0.002
सरगुजा, दिनांक 22 अगस्त 2020		784	0.243
		775	0.020
क्रमांक/03/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		760/2	0.121
		759/1	0.049
		741/20	0.052
		761	0.041
		757	0.064
		690/2	0.052
		758	0.052
अनुसूची		764/2	0.004
(1) भूमि का वर्णन—		754/1	0.072
(क) जिला-सरगुजा		753	0.049
(ख) तहसील-उदयपुर		769/5	0.149
(ग) नगर/ग्राम-डांडगांव		770/1	0.024
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.914 हेक्टेयर		741/12	0.072
खसरा नम्बर	रकबा	741/19	0.032
	(हेक्टेयर में)	741/10	0.247
(1)	(2)	770/3	0.028
		741/18	0.056
702/4	0.444	योग	39
103/1	0.021		2.914
104/2	0.097		
111/8	0.053	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोहरा नाला व्यपवर्तन के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.	
106/2	0.049	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
682/1	0.069		
682/2	0.028		
681/1	0.057		
680/1	0.045		
680/2	0.036		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद छ.ग.

बालोद, दिनांक 28 अगस्त 2020

शुद्धि पत्र

No./386/ELU/Dallirajhara/T&CP/2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Dallirajhara planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 28-02-2020 During office hour in the office of collector, office of Nagar Palika parishad dallirajhara/Exhibition Venue and nagar Panchayat chikhlakasa/Exhibition Venue, & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Dallirajhara Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Dallirajhara Planning Area

NORTH	:	Village Chikhlakasa up to North Boundary.
WEST	:	Village Mahuljhappi, Jharandalli and Chikhlakasa up to West Boundary.
SOUTH	:	Village Mahuljhappi up to South Boundary.
EAST	:	Village Chikhlakasa, Pandaridalli, Jharandalli and Mahuljhappi up to East Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or Inspection site writing a period of Thirty days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site :

1. Office of the Collector
2. Office of the Nagar Palika Parishad Dallirajhara.
3. Office of the Nagar Panchayat Chikhlakasa.
4. Office of the Assistant Director Town and Country Planning Balod.

PREETI DEWANGAN,
Assistant Director.